(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री रामनिवास मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 88/2023/राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. देवीलाल पि. नारायण जाति धाकड नि. गुण्दी तहसील सुनेल

– प्रार्थी

बनाम

1. मनोहरलाल पि. नारायण जाति धाकड नि. गुण्दी तहसील सुनेल
2. मानावाई पत्नि राधाकिशन जाति धाकड नि. गुण्दी तहसील सुनेल
3. शाखा प्रवंधक जरिये यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा झालावाड
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादी – श्री अशोक पाटीदार

वकील प्रतिवादी सं. 1 – श्री प्रेमचन्द चौधरी, श्री हुकुमचन्द कुमावत

निर्णय दिनांक : 20/03/2024

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम गुण्दी तहसील सुनेल की जमावंदी सं. 2075–78 की आराजी ख.नं. 195 रकबा 1.4796 हेक्टर, ख.नं. 313 रकवा 0.0506 हेक्टर किता 2 रकवा 1.5302 हेक्टर भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार ख.नं. 196 रकबा 2.2005 हेक्टर भूमि में प्रार्थी का 31/87 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के सहखातेदारी की है तथा उनके कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजी है।

वादग्रस्त आराजी शामलाती होने एवं रिकार्डेड बंटवारा नहीं होने से सहखातेदारों के मध्य आपसी विवाद बना रहता है ... जी का सही विकास नहीं हो पा रहा है। अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 बिना बंटवारे करा... अपने हिस्से को बेचान करने पर आमदा है। वाद कारण दिनांक 10.08.2023 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Niwas Meena
Date: 2024.03.28 12:14:22 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

द्वारा वादग्रस्त आराजी का बिना बंटवारा कराये अपने हिस्से को बेचान करना चाह रहा है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया ठोस प्रकरण है एवं सुविधाओं का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को बिना बंटवारा कराये बेचान करने से नहीं रोका गया तो काफी अपूरनीय क्षति होगी जिसका द्रव्य में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम गुण्दी तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2075–78 की आराजी ख.नं. 195 रकबा 1.4796 हेक्टर , ख.नं. 313 रकबा 0.0506 हेक्टर किता 2 रकबा 1.5302 हेक्टर भूमि एवं ख.नं. 196 रकबा 2.2005 हेक्टर भूमि में अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी का बिना बंटवारा कराये बेचान नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम गुण्दी के खाता सं 64, 65 की नकल प्रस्तुत की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन से तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री प्रेमचन्द चौधरी, श्री हुकुमचन्द कुमावत एडवोकेट द्वारा वकालातनामा पेश किया एवं अप्रार्थी सं. 2 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुये जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गुण्दी के ख. नं. 196 रकबा 2.2005 हेक्टर भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 के मध्य आपसी सहमति का बंटवारा हो चुका है जिससे वादी का 31/87 हिस्सा दर्ज नहीं है। अब वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं. 1 के शामलाती खातेदारी की है। विशेष कथन में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 मनोहरलाल अविवाहित व्यक्ति है जो अपने बडे भाई के लडके के साथ रहता है। प्रार्थी देवीलाल एवं उसके लडके द्वारा दिनांक 29.05. 2023 को अप्रार्थी सं. 1 के साथ मारपीट की जिसकी एफआईआर भी दर्ज करवायी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाकर स्थगन आदेश हटवाया जावे। जवाब पत्र के साथ ग्राम गुण्दी के खाता सं 64, 65 की नकल, खसरा गिरदावरी नकल, नक्शा ट्रेस की नकल, मारपीट को फोटो, एफआईआर की प्रति, आधारकार्ड की प्रति प्रस्तुत की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Niwas Meena
Date: 2024.03.28 12:14:22 IST
Reason: Self Attested

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से RRT 2018(2) Page 1275-1277, RRT 2019(1) page 113-117 न्यायिक

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

(5)

नजीरे पेश की गई। प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड, न्यायिक नजीरो का अवलोकन किया गया एवं विद्वान उभयपक्ष की की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह पाया कि ग्राम गुण्दी तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2075–78 की आराजी ख.नं. 195 रकबा 1.4796 हेक्टर, ख.नं. 313 रकबा 0.0506 हेक्टर किता 2 रकबा 1.5302 हेक्टर भूमि एवं ख.नं. 519/196 रकबा 1.5682 हेक्टर भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के शामलाती खातेदारी की है जिसमें दोनो का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है जिस पर वे काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजियात शामलाती खातेदारी की होने से प्रत्येक खातेदार का हर एक इंच भूमि पर हित निहित है।

आदेश

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया ठोस प्रकरण नहीं है एवं सुविधाओं का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है एवं न ही अपूरनीय क्षति की संभावना प्रार्थी की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Niwas Meena
Date: 2024.03.28 12:14:22 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2024

अलग से खाते में